

कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़

फोन नं०. 05463-235020, फैक्स नं०-05463-235194,

वेबसाइट-www.rmcazamgarh.com

संख्या-

/रा०मे०का०आ०/EC-4/विज्ञप्ति/2020

दिनांक-27/07/2020,

सेवायोजन विज्ञप्ति

संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य के पदों पर साक्षात्कार (Walk-in-interview) के माध्यम से सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति

राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के विभिन्न विभागों में फैकैल्टी के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु साक्षात्कार (Walk-in-interview) दिनांक -07/08/2020 (शुक्रवार) को राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के प्रशासनिक भवन में कालेज काउन्सिल हाल में प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे के मध्य निर्धारित किया गया है। विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या लागू आरक्षण रोस्टर निम्नवत् होगा-

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम	आचार्य	श्रेणी	सह-आचार्य	श्रेणी	सहायक आचार्य	श्रेणी
1	आर्थोपेडिक्स	-	-	01	OBC	-	-
2	आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	-	-	01	UR	-	-
3	एनाटमी	-	-	--	--	-	-
4	एनेस्थीसियोलॉजी	-	-	-	-	01	SC
5	जनरल सर्जरी	-	-	01	SC	-	-
6	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन	01	UR	-	-	-	-
7	डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	01	OBC	-	-
8	पैथोलॉजी एवं रक्तकोष	पैथोलॉजी रक्तकोष	-	01	SC	-	-
9	फोरेन्सिक मेडिसिन	-	-	-	-	-	-
10	बायोकेमेस्ट्री	01	OBC	-	-	-	-
11	माइक्रोबायोलॉजी	01	UR	01	UR	-	-
12	रेडियो-डायग्नोसिस	01	OBC	02	SC, UR	-	-
13	साइकियट्री	01	SC	01	UR	-	-

नोट- किसी भी विभाग में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एम०सी०आई० के मानकों की पूर्ति एवं निकट भविष्य में संभव एम०सी०आई० के औचक निरीक्षण के दृष्टिगत साक्षात्कार के समय अन्य श्रेणी के उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थी से उक्त पद को न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि अथवा पद पर नियमित/अगली नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, भर लिया जायेगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं—

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों को शासनादेश संख्या-104/2019/5044(1)271-1-2019-जी-63/2008 दिनांक-21.11.2019 के अनुसार नियत वेतन रू0 1,35,000/- सह-आचार्यों को नियत वेतन रू0 1,20,000/- एवं सहायक आचार्यों का नियत वेतन रू0 90,000/- प्रतिमाह है। वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र संख्या-250/2018/4067/71-1-2017- जी-63/2008, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक- 20 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्यों को संविदा के आधार पर आचार्यों के पद पर नियुक्ति करने हेतु, निर्गत शर्तों के अधीन नियत वेतन रू0- 2,20,000/-प्रतिमाह दिया जायेगा। सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को Medical Council of India, Minimum, Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1999 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
2. चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
3. एम0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा सहायक-आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निहित के अनुसार होगी।
5. ओ0पीडी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
8. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
11. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षक को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
17. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
18. उक्त संविदा पदों पर चयन, महाविद्यालय स्तर पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा की जायेगी। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय में ही निहित होगी।
19. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

नोट-

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं शासन के नियमों का पालन किया जायेगा। नियमानुसार सहायक आचार्य की अधिकतम आयु-60 वर्ष, सह-आचार्य की अधिकतम आयु-64 वर्ष तथा आचार्य की अधिकतम आयु-68 वर्ष होनी चाहिए।
2. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
3. शासन से अद्यतन निर्गत 100 बिन्दु के रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
4. चयन की कार्यवाही एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार होगी।
5. नियुक्ति संबंधी समस्त शर्तें कालेज की वेबसाइट www.gmcazamgarh.com एवं महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ की वेबसाइट www.updgme पर प्रदर्शित हैं।
6. साक्षात्कार हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

/

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

संख्या: 1064/तददिनांक

2020,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़।
5. प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कानपुर/मेरठ/आगरा/झोंसी/गोरखपुर/प्रयागराज/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/सहारनपुर/बदायूं को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त सदस्य चयन समिति, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
8. राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट हेतु।


प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।